कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 2847 लखनऊः दिनांक 02 अक्टूबर 2016

उ0प्र0 राज्य के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को नीट यू0पी0 2016 की काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में अति आवश्यक सूचना

आई0ए0 संख्या–38 ऑफ 2016 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2016 के कम में नीट यू0पी0 2016 की द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आयोजित काउंसिलिंग की समय सारिणी निम्नवत हैः–

क0सं0	पंजीकरण की तिथि	आवंटन / प्रवेश की तिथि	आमंत्रित अभ्यर्थियों की ऑल इण्डिया रैंक
1	03.10.2016 को (प्रातः 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक) 04.10.2016 को (प्रातः 9:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक)	04.10.2016 (अपरान्ह 2:00 बजे से)	ऑल इण्डिया रैंक 01 से 100000 तक के अन्तर्गत आने वाले समस्त इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी
2	04.10.2016 को (प्रातः 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक)	05.102016 (प्रातः 9:00 बजे से)	ऑल इण्डिया रैंक 200000 तक के अन्तर्गत आने वाले समस्त इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी
3	05.10.2016 को (प्रातः 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक)	06.102016 (प्रातः 9:00 बजे से)	NEET Qualified समस्त इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी

उक्त काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रकिया / शर्तें निम्नलिखित हैंः–

1. उक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया मात्र टेलीमेडिसिन सेन्टर, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में सम्पन्न की जायेगी।
2. इस काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को काउंसिलिंग स्थल पर आन–स्पाट रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों हेतु शासन द्वारा अन्तरिम रूप से एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क कमशः रू0 11.30 लाख एवं रू0 3.25 लाख को काउंसिलिंग स्थल पर डिस्पले किया जायेगा। उक्त अन्तरिम शुल्क में हास्टल शुल्क सम्मिलित नहीं हैं।
4. अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उनके कालेजों हेतु उनके द्वारा निर्धारित शुल्क का डिस्पले काउंसिलिंग स्थल पर किया जायेगा।

5. काउंसिलिंग के पश्चात सम्बन्धित कालेज को शासन द्वारा अन्तरिम रूप से एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः रू0 11.30 लाख एवं रू0 3.25 लाख (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोडकर) के आधार पर ही आन–स्पाट प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
6. इस काउंसिलिंग हेतु छात्रों को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत आवश्यक शुल्क यथा काउंसिलिंग फीस रू0 800/–, सिक्योरिटी धनराशि रू0 50,000/– तथा कालेजों में जमा किये जाने हेतु शासन द्वारा अन्तरिम रूप से एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः रू0 11.30 लाख एवं रू0 3.25 लाख का महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (लखनऊ में देय) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/कैश काउंसिलिंग स्थल पर स्वीकार्य होगा।
7. अल्पसंख्यक संस्थाओं के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु उनके द्वारा निर्धारित शुल्क भी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (लखनऊ में देय) के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट/कैश काउंसिलिंग स्थल पर स्वीकार्य होगा।
8. इस काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों को यदि कोई कालेज किसी कारण से प्रवेश प्रदान नहीं करता है, तो सम्बन्धित कालेज को अग्रेत्तर सीट आवंटन से वंचित कर दिया जायेगा।
9. उक्त काउंसिलिंग/प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराया जाना अनिवार्य होगा। नीट यू0पी0 2016 की प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र इस काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे, किन्तु ऐसे छात्र जिन्हे प्रथम/ द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त हुआ था, किन्तु किन्ही कारणों से उनका प्रवेश सम्बन्धित कालेजों में नहीं हो सका है, इस काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
10. अद्यावधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.updgme.in का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक